

बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001

आवश्यक सूचना


विज्ञापन संख्या 75/2014, के अन्तर्गत बिहार राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में विधि विषय में सहायक प्राचार्य के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हित, तथा अनर्हित अभ्यर्थियों की सूची आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> पर उपलब्ध है।

वैसे अभ्यर्थी, जो विज्ञापन की अन्य न्यूनतम शर्तों को पूरा करते हैं तथा दिनांक 01.12.2002 के पूर्व BET/SET उत्तीर्ण हैं, उन्हें भी अर्हित किया गया है। वैधिक स्थिति के अनुरूप यथा समय निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अर्हित सूची में वर्णित सभी अभ्यर्थियों की अर्हता पूर्णतः औपबंधिक है। उनकी अर्हता पर यथासमय समीक्षा कर यथोचित निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र रहेगा। यह विशेष रूप से सूचित किया जाता है कि सूची में शामिल वैसे अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर डिग्री विधि में Subsidiary/Related subject में है, की अर्हता भी पूर्णतः औपबंधिक है। आयोग इनकी अर्हता पर यथासमय निर्णय लेने हेतु पूर्ण स्वतंत्र रहेगा।

अर्हित अभ्यर्थियों में से नियमानुसार आरक्षण कोटिवार रिवित्तियों के 5 (पाँच) गुणा अभ्यर्थियों को ही शैक्षणिक योग्यता के अनुसार प्राप्त अंको के आधार पर मेधाक्रमानुसार (कोटिवार अंतिम कट-ऑफ पर समान अंक वाले सभी उम्मीदवार सहित) साक्षात्कार में शामिल होने हेतु आमंत्रित किया जाना है।

वैसे अभ्यर्थी जिन्हें अपने अनर्हित होने के कारणों पर यदि कोई आपत्ति हो तो वे अपना आपत्ति अभ्यावेदन साक्ष्य के साथ स्पीड पोस्ट के माध्यम से अथवा e-mail id- bpscpat-bih@nic.in पर दिनांक 31.01.2017 की संख्या 5.00 बजे तक या उसके पूर्व आयोग को भेज सकते हैं। दिनांक 31.01.2017 के बाद प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।



अपर सचिव-सह-परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना।